

28/05/24

7

पञ्जावली पेश हुई। पञ्जावली  
का अवलोकन किया गया।  
कुल्ला डेकी कानन राज्य मुकदमा  
नं. 67/2023 में मानवीय  
न्यायालय उपरवन्त सूचनाओं  
का कोण्डा गृह में स्वसंगी  
181 में अस्थाई निवेद्या है  
मानवीय न्यायालय को स्वसंगी आदेश  
प्रभावी होने पर पञ्जावली में कार्यवाही  
संभव नहीं है अतः मानवीय न्यायालय का  
स्वसंगी आदेश इत्ते तक पञ्जावली को  
ड ड्रॉप किया जाता है/SHR